

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक प.(25)(27)टीएडी/85-86

जयपुर दिनांक 18-01-2019

आदेश

कार्यपद्धति के नियमों के नियम 21 व 22 के अनुसार तथा इसमें संबंधित समस्त पूर्वदेशों/आदेशों को प्रभावहीन करते हुए एतद्वारा आज्ञा दी जाती है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित कार्य संचालन के मामले तथा विषय सामान्यतः निम्न आदेश प्रभावी होंगे :-

क्र.सं.	प्रकरण का प्रकार	जिसके द्वारा परीक्षा की जानी है	जिसके द्वारा निपटाया जाना है	प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किया जाना है।
1	2	3	4	5
ए-सेवायें				
	जनजाति क्षेत्रीय विकास के नियंत्रणाधीन राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित स्थापना संबंधी मामले -			
	(क) पदों का सृजन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ख) प्रारंभिक नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ग) अस्थाई पदों की समयावृद्धि एवं नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(घ) पदोन्नति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ङ) त्याग-पत्र	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(च) स्थानान्तरण	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(छ) सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ज) अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति/ उच्च स्थिरीकरण	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
झ-स्थायीकरण				
	(क) विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त (ख) विभागाध्यक्ष	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
2	विभाग के नियंत्रणाधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में स्थापना संबंधी मामले -	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(क) पदों का सृजन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ख) प्रारंभिक नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ग) अस्थाई पदों की समयावृद्धि एवं नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां



			विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव	
	(घ)	पदोन्नति	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ड)	त्यागपत्र	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(च)	स्थानान्तरण	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(छ)	सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ज)	अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति / उच्च स्थिरीकरण	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(झ)	स्थायीकरण	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ञ)	वरिष्ठता नियमन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
3 अनुशासनिक मामले					
	(क)	विभागाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध अपील	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ख)	राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच के आदेश	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ग)	राजपत्रित अधिकारियों के निलम्बन एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी मामले नियुक्ति विभाग को भेजना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(घ)	अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी मामले	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
4 अवकाश स्वीकृत करना					
	(क)	समस्त राजपत्रित कर्मचारियों के अवकाश	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ख)	विभागाध्यक्षों के सभी प्रकार के अवकाश	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ग)	(ग) अन्य राजपत्रित अधिकारियों के सभी प्रकार के अवकाश	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(घ)	अराजपत्रित कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अधीन विशेष वेतन स्वीकृत करना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
(ड) राजस्थान के बाहर दौरे पर जाने की स्वीकृति देना					
		I. विभागाध्यक्ष	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
		II. राजपत्रित कर्मचारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
		III. अराजपत्रित कर्मचारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
5. 60 दिवस से अधिक के विराम की स्वीकृति					
		I. विभागाध्यक्ष	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
		II. राजपत्रित कर्मचारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-

			विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव	
		।।। अराजपत्रित कर्मचारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
6. राजस्थान में प्रशिक्षण					
	(क)	राजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ख)	अराजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
7. भारत / विदेश में शीर्ष अध्ययन प्रशिक्षण एवं शोध आदि					
	(क)	राजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ख)	अराजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
8.		पेंशन एवं ग्रेच्युटी, बीमा आदि	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
9.		सेवा में टूट / कमी का उपभरण	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
10.		अधीनस्थ / लिपिक वर्गीय केंडर से अराजपत्रित केंडर में पदोन्नति	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
11.		विभागीय परीक्षा / परीक्षायें आयोजित करवाना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
12. विदेशी सेवाओं में पदस्थापन					
	(क)	राजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ख)	अराजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
13.		प्रकाशन सुझावों व योजनाओं के लिए विभिन्न पुरस्कार स्वीकृत करना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
14. कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से वृद्धि					
	(क)	राजपत्रित	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ख)	अराजपत्रित	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
15. भण्डार के सामान, उपकरण एवं फर्नीचर आदि का क्रय					
	(क)	रु. 2.00/- लाख तक	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ख)	रु. 2.00/- लाख से अधिक	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
16.		नये कार्यों के लिए बजट	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
17.		एक ही शीर्ष के अन्तर्गत एक उपशीर्ष से दूसरे शीर्ष में राशि का पुनर्नियोजन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
18. निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति					
	(क)	रु. 5.00 लाख से अधिक	आयुक्त, टीएडी	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
19.		वापसी मामले	संयुक्त शासन सचिव /	प्रमुख शासन सचिव /	-

			विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव	
20.		गबन एवं चोरी के मामले	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
21.		हानियों का अपलेखन करना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
22.		अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
23.		दावों का निपटारा	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
24.		विभागों की विभिन्न योजनाओं हेतु अग्रिम	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
25.		प्राइवेट पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम राशि	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
26.		योजनाओं की निरन्तरता / विस्तार	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
27.		नई योजनायें	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
28.		अनुदान का आवंटन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
29.		लीज एवं ठेके व सप्लाइ आदेश	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
30.		सहायता / अनुदान / उपादान / छात्रावृत्तियाँ	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
31.		तदर्थ अनुदान स्वीकृति	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
32.		पुरस्कार एवं मानदेय	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
33.		भूमि का क्रय एवं अधिग्रहण	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
34.		सरकारी सम्पत्ति का बीमा	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
35.		दान / चैरीटीज	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
36.		ड्राफ्ट पैराज	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
37.		शक्तियों-प्रस्तावों का हस्तांतरण	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
निरीक्षण दौरे एवं रिपोर्ट					
38.		वार्षिक रिपोर्ट	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
39.		सांख्यिकी एवं सामयिक रिपोर्ट	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
40. प्रशिक्षण / दौरे संबंधी रिपोर्ट					
	(क)	विभागाध्यक्ष	संयुक्त शासन सचिव /	प्रमुख शासन सचिव /	-


			विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव	
	(ख)	राजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
41.		मीटिंग, सम्मेलन, सेमीनार के कैम्प आयोजित करना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
42.		विज्ञापन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
43.		समाचार सामग्री	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
44.		सरकारी दस्तावेजों एवं पुस्तिका (बुलेट्स एवं प्रलेखों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन)	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
45.		विधानसभा सचिव के अतिरिक्त प्रतिवेदन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
46.		मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
47.		सरकारी प्रतिनिधियों का मनोनयन जो कि सरकार की ओर से सम्मेलन सभाओं में भाग लेंगे।	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
लोकसभा एवं विधानसभा					
	(क)	विधानसभा प्रश्न (तारांकित)	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ख)	विधानसभा प्रश्न (अतारांकित)	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	(ग)	लोकसभा / राज्य सभा प्रश्न (तारांकित)	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(घ)	लोकसभा / राज्य सभा प्रश्न (अतारांकित)	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
48.		अदालतों में केस संचालन हेतु विशेष अधिकारियों की नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
49.		नए कानून बनाना एवं वर्तमान कानून में संशोधन करना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
50.		विधानसभा समितियों से संबंधित कार्यों जैसे लोक सेवा समिति पी. ए. सी. सार्वजनिक उपक्रम समिति	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
लिटिगेशन			संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
51.		अभियोजन चलाना एवं वापस लेना	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
52.		अदालत में सरकार के विरुद्ध मामले	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
53.		अवमानना नोटिस	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
अन्य मामले					-
54.		प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन	संयुक्त शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां

55.		विभागीय मैन्युअल एवं सेवा नियमों में नियम सिम्बिलित करना, नये नियम बनाने संबंधी प्रस्ताव/संशोधन एवं व्याख्या	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
56.		पीटीशन्स (प्रार्थना पत्र)	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
57.		विषय और नीतियां एवं नियम व कार्य पद्धति से अलगाव संबंधी मामले	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
58.		मंत्रीमण्डल के निर्णयों का क्रियान्वयन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
59.		राजसंघ से संबंधित सभी मामले	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	I	अध्यक्ष की नियुक्ति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	II	त्याग पत्र स्वीकार करना	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
	III	मृत्यु/त्यागपत्र में रिक्त हुए स्थानों पर नये सदस्यों का मनोनयन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
60.		आयोग की बैठक आयोजित करवाना	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
61.		अन्य राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार करना	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
62.	(क)	भारत सरकार से पत्र व्यवहार	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
	(ख)	भारत सरकार को भेजे जाने वाले नये प्रस्ताव	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
63.		विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन तैयार करना	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
64.		विभिन्न योजनाओं के लिए जनजाति क्षेत्र अंकित करना	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
65.		वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
66.		रिव्यू वर्किंग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर एण्ड सजेस्ट मेजर्स	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
67.		जनजाति क्षेत्र के अन्य अध्ययनों का संचालन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
68. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे राजसंघ, टी.आर.आई. आदि के संबंध में निम्न कार्य					
		1. गतिविधियों का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक बजट	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
		2. ऑडिट प्रतिवेदन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-
		3. किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति का पूर्व अनुमोदन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
		4. संचालक मंडल की बैठक का कार्यवाही विवरण	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	-

		5. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी प्रकार के अनुमोदन की स्वीकृति	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
अनुमोदन की स्वीकृति		6. राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
		7. किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां
69.		बंजर भूमि विकास संबंधी कार्य	संयुक्त शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	हां


उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार जो मामले मंत्री/राज्यमंत्री द्वारा निपटाये जायेंगे उनके मुख्यालय से बाहर होने की दशा में उन्हें यदि प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव उचित समझे कि राज्यमंत्री/प्रभारी मंत्री की वापसी तक उन पर निर्णय नहीं रोका जा सकता है तो प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव निर्णय करेंगे और राज्यमंत्री/प्रभारी मंत्री की वापसी पर पुष्टि के लिये प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/शासन सचिव ये समझे कि प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव की वापसी तक किसी मामले को रोका जाना उचित नहीं हो तो संयुक्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/शासन सचिव ऐसे मामलों को निपटारेंगे और प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव की वापसी के लिये पुष्टि करेंगे।

ऊपर वर्णित व्यवस्था के बावजूद यदि कोई मामले महत्वपूर्ण समझे जावें तो प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रभारी मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्रस्तुत किये जावें।


 (अर्जुन सिंह बामनिया)
 राज्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. समस्त विशिष्ट सहायक, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, जयपुर।
7. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. समस्त अनुभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


 (अखिल अरोरा)
 प्रमुख शासन सचिव